रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1980/आश्विन 30, 1902
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 1980/ASVINA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1980

सा. का. नि. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1980 है ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा (1) के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (एल एक्स एक्स एक्स आई एक्स) के

पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(एक्स सी) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1069, तारीख 11 अक्तूबर, 1980 में, जो 31 अक्तूबर, 1980 को प्रवृत्त होगी, विनिर्दिष्ट भवन और निर्माण उद्योग में लगे स्थापनों के सम्बन्ध में"।

[4(3)/61-पी. एफ. 2(2)]

ए. पूनन, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd October, 1980

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1980.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph (1), after sub-clause (LXXXIX) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(XC) as respects the establishments engaged in 'Building and Construction Industry specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 1069 dated the 11th October 1980 come into force on the 31st October, 1980."

[No. 4(3)/61-PF-II(1)]

A. POONEN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980